निर्णय ब–इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 09/2019 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना चन्दवाजी, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. मुकेश चन्द पुत्र सुलतान सिंह जाति योगी निवासी नीलकण्ठ, थाना टेहला, जिला अलवर।
2. श्रीमती अवन्तिका शर्मा पत्नी श्री उज्जवल शर्मा निवासी डी–192, मोती मार्ग, बापूनगर, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 1900 लीटर डीजल को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से।
2. श्री के.डी. शर्मा एवं श्री सी.एस. मिश्रा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 14.10.2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.08.2019 को जरिये टेलीफोन सूचना पर पिकअप नम्बर आरजे–14 जीके 1392 के पीछे टैंकर लगा है, को मय टैंकर पुलिस थाना चन्दवाजी द्वारा जब्त किया गया । पिकअप चालक मुकेश चन्द पुत्र सुलतान सिंह जाति योगी निवासी नीलकण्ठ, थाना टेहला, जिला अलवर ने बताया कि उक्त टैंक में 1900 डीजल भरा हुआ है। वाहन श्रीमती अवन्तिका शर्मा पत्नी श्री उज्जवल शर्मा निवासी डी–192, मोती मार्ग, बापूनगर, जयपुर के नाम है। डीजल पाईप से 200 लीटर के खाली ड्रमों में मापा गया, तो 1900 लीटर डीजल भरा हुआ होना पाया गया। चालक से डीजल के संबंध में दस्तावेज एवं डीजल परिवहन करने एवं विक्रय करने के संबंध में परमिट मांगा तो कोई परमिट व दस्तावेज नहीं होना बताया। इस प्रकार पिकअप बोलेरा चालक मुकेश चन्द का उक्त कृत्य अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का पाया जाता है। अतः जब्तशुदा 1900 लीटर डीजल व वाहन संख्या आरजे–14 जीके 1392 मय टैंक को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त डीजल ज्वलनशील, उडनशील व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 30.09.2019 को पारित किये जाकर थानाधिकारी चन्दवाजी एवं जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त डीजल का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये।
3. प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 05.11.2019 नियत की गई, परन्तु अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री के. डी. शर्मा एवं सी. एस. शर्मा ने उपस्थित हो कर शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र

पेश किया। जिस पर दिनांक 14.10.2019 को पत्रावली तलब की जा कर पुनवाई की गई। विभागीय पैरोकार उपस्थित है।

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई

5. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 12.08.2019 को जरिये टेलीफोन सूचना पर पिकअप नम्बर आरजे–14 जीके 1392 के पीछे टैंकर लगा है को मय टैंकर जब्त किया गया है। पिकअप चालक ने बताया कि उक्त टैंक में 1900 डीजल भरा हुआ है। वाहन श्रीमती अवन्तिका शर्मा पत्नी श्री उज्जवल शर्मा के नाम है। डीजल मापा गया तो 1900 लीटर डीजल भरा हुआ होना पाया गया। चालक से डीजल के संबंध में दस्तावेज एवं डीजल परिहवन करने एवं विकय करने के संबंध में परिमिट मांगा तो कोई परमिट व दस्तावेज नहीं होना बताया। इस प्रकार पिकअप बोलेरा चालक मुकेश चन्द का उक्त कृत्य अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का पाया जाता है। अतः जब्त डीजल व वाहन को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावें।

6. अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ताओ ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थिया नम्बर 2 श्रीमती अवन्तिका शर्मा पिकअप बोलेरो नम्बर आरजे 14 जीके 1392 व उसके पीछे लगी टंकी की रजिस्टर्ड ऑनर है तथा मुकेश चन्द अप्रार्थी संख्या एक वाहन ड्राईवर है, ने अपने कृषि कार्य के लिए डीजल लाने हेतु अप्रार्थिया नम्बर 2 से उक्त वाहन मांग कर लिया था। अप्रार्थी संख्या एक मुकेश चन्द ने दिनांक 12.08.2019 को 1900 लीटर डीजल रावत आयल कम्पनी राय मलिकपुर नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ हरियाणा से बिल नम्बर 2109 से अपने कृषि कार्यो के लिए कय किया था। जिसे पुलिस थाना चन्दवाजी द्वारा अभिगृहित कर लिया गया। राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 के तहत डीजल की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई थीं, लेकिन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 09.05.2017 के निर्णय के द्वारा उक्त अनुज्ञापन आदेश 1990 को अवैद्य मान कर निरस्त कर दिया तथा राज्य सरकार द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व की गई अपील भी दिनांक 04.12.2017 के निर्णय द्वारा अपास्त कर दी गई। इसलिए राज्य सरकार का डीजल के परिवहन स्टॉक आदि पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा। केन्द्रीय सरकार का पैट्रोलियम उत्पादन (उत्पादन भण्डारण और प्रदाय का रख रखाव आदेश 1999 प्रभावशील है। उक्त केन्द्रीय आदेश 1999 के खण्ड 2 (झ) के अनुसार 2000 लीटर डीजल एक समय में कय करने की छूट है। जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2016 (2) सी.जे. (क्रिमीनल) (राज.) पेज 823 करमजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में निर्णत किया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एक ही विषय पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा 2 नियंत्रण आदेश जारी किये गये । राज्य सरकार द्वारा एक–केन्द्र सरकार का विधान राज्य सरकार के विधायन पर प्रभावी होगा। एक अन्य मामला 2019 (1) क्रिमीनल लॉ रिपोर्टर (राजस्थान) पेज 216 विनोद कुमार सोनी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णित किया है। द्र.प्र.सं. 1973–धारा 482, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 3/7–वाहन को डीजल का मूल्य मुक्त करने हेतु रेस्पोडेन्ट को निर्देश देने बाबत याचिका–वाहन संख्या 1700 लीटर डीजल जब्त किया–केन्द्रीय नियंत्रण आदेश राजस्थान नियंत्रण आदेश पर अभिभावी होगा–केन्द्रीय नियंत्रण आदेश के अनुसार एक समय में 2500 लीटर खुदरा बिक्री की छूट है। निर्णित कार्यवाही रद्द की और वाहन व डीजल

जिला कलक्टर
जयपुर

लौटाने के निर्देश दिये। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2015 (2)आरएलडब्लू 1801 (राज) जगीर सिंह एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान मे निर्णित किया है कि किसी यान में डीजल का परिवहन करना अपने आप में भण्डारण करना नहीं हो सकता है। उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की जाकर अभिग्रहित बोलेरो व डीजल प्रार्थी को लौटाया जावे।

7. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 12.08.2019 एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भलीभांति अवलोकन, अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया।

8. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11 अप्रेल 2005 राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत बिना अनुज्ञप्ति 1000 लीटर डीजल भण्डारण किये जाने का प्रावधान था। जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी.बी. आदेश दिनांक 04.12.2017 से निरस्त किया जा चुका है। डीजल–पैट्रोल के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रख रखाव) आदेश 1999 प्रभावी है। जिसके तहत बिना अनुज्ञापत्र के कोई व्यक्ति 2500 लीटर तक डीजल रख सकता है। जबकि अप्रार्थी के कब्जे में केवल 1900 लीटर डीजल पाया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के आदेश में विरोधाभाष हो तो केन्द्र सरकार के आदेश ही मान्य होते है। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है। इसलिए अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त डीजल व वाहन अप्रार्थीगण को लौटाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. उक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थी के कब्जे से 1900 लीटर डीजल जब्ती की कार्यवाही विधि सम्मत नहीं पाई जाती है। फलस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

10. अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 1900 लीटर डीजल या उससे विकित राशि नियमानुसार अप्रार्थी को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में जब्त पिकअप बोलेरो नम्बर आरजे 14 जीके 1392 को दिनांक 30.09.2019 को छः लाख रूपये के जमानतनामा व सिपुर्दगीनामा पर रिजीज किया गया है, जिसे इस प्रकरण में मुक्त किया जाता है।

11. निर्णय प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा थानाधिकारी पुलिस थाना चन्दवाजी व जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

12. निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर